सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-7694/MP/990/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक: 20.07.2026

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-भोपाल,
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,
कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dmbhopal@nic.in

पुलिस आयुक्त, भोपाल,
कार्यालय पुलिस आयुक्त,
भोपाल-462001, मध्य प्रदेश
ई-मेल: pc.bhopal@mppolice.gov.in

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्य प्रदेश शासन,
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन,
पंजीयन भवन, 35-ए, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462011
ई-मेल: igrebpl@nic.in

आयुक्त,
नगर पालिका निगम, भोपाल
हर्षवर्धन परिसर, माता मंदिर,
भोपाल, मध्य प्रदेश
ई-मेल: commoffice@bmconline.gov.in

विषय: आवेदक की पैतृक भूमि पर षड़यंत्र और फर्जी दस्तावेज़ बनाकर कब्जा करने एवं अवैध कब्जा हटाने के संबंध में श्री सुमेर सिंह, पता-रघुनाथ नगर कॉलोनी, बावडियाकला, थाना-शाहपुरा, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश से प्राप्त दिनांक 08.05.2026 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री सुमेर सिंह,
पता-रघुनाथ नगर कॉलोनी, बावडियाकला,
थाना-शाहपुरा, तहसील-कोलार,
जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
पत्रावली संख्या - NCST/DEV-7694/MP/990/2026-RO-BH/RU-I

श्री सुमेर सिंह द्वारा अनुसूचित जनजाति की भूमि पर कथित अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि हस्तांतरण, जातिगत उत्पीड़न, अवैध निर्माण एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने संबंधी अभ्यावेदन पर दिनांक 16.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अंतर सिंह आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 16.06.2026
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. श्री सुमेर सिंह, निवासी ग्राम-बावड़ियाकला, थाना-शाहपुरा, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल (म.प्र.) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अवगत कराया गया कि वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। अभ्यावेदन के अनुसार उनके पिता स्वर्गीय भवानी सिंह को वर्ष 1968 में खसरा क्रमांक 497/97, रकबा 4.17 एकड़ भूमि का पट्टा शासन द्वारा प्रदान किया गया था।
3. अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि गाँव के कुछ भू-माफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेज एवं अनुबंध तैयार कर न्यायालय को गुमराह किया गया तथा उक्त भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इसके उपरांत भूमि को 14 भागों में विभाजित कर लगभग 19 व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया, जिनमें कुछ बड़े बिल्डर एवं साझेदार भी सम्मिलित बताए गए हैं। आवेदक का आरोप है कि इस कथित षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी के कारण उनके पिता को गंभीर मानसिक पीड़ा हुई, जिसके परिणामस्वरूप उनका निधन हो गया।
4. अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तांतरण बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के किया गया है। आवेदक के अनुसार यह भूमि हस्तांतरण एवं नामांतरण पूर्णतः अवैध है।
5. अभ्यावेदन में आगे आरोप लगाया गया है कि जब भी आवेदक विवादित भूमि पर जाते हैं, तब आरोपित व्यक्तियों द्वारा उन्हें जातिसूचक गालियाँ दी जाती हैं तथा जान से मारने की धमकियाँ दी जाती हैं। वर्तमान में उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे तत्काल रोके जाने की मांग की गई है। आवेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उन्होंने विभिन्न अधिकारियों के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत कीं, किन्तु कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।
6. आवेदक ने आयोग से अनुरोध किया है कि संबंधित भू-माफियाओं के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए, अवैध कब्जा हटाया जाए तथा भूमि का नामांतरण पुनः उनके नाम किया जाए।
7. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 12.05.2026 को कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल, पुलिस आयुक्त, भोपाल, महानिरीक्षक पंजीयन, मध्य प्रदेश शासन तथा आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल को नोटिस जारी किया गया था। तथापि, आज दिनांक तक किसी भी संबंधित प्राधिकारी द्वारा आयोग को कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
8. प्रकरण में पूर्व में कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई थी। अभ्यावेदन में लगाए गए गंभीर आरोपों तथा संबंधित विभागों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने के दृष्टिगत आयोग द्वारा दिनांक 16.06.2026 को सिटिंग आयोजित की गई।
9. सुनवाई के दिन महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 15.06.2026 में अवगत कराया है कि श्री सुमेर सिंह द्वारा उनकी पैतृक भूमि पर षड़यंत्रपूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्जा किए जाने संबंधी शिकायत की जांच वरिष्ठ जिला पंजीयक, भोपाल से कराई

Antar Singh Arya
Chairperson
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

गई। जांच में पाया गया कि विवादित विक्रय पत्र क्रमांक 1360 दिनांक 05.05.1976 का निष्पादन एवं पंजीयन माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, भोपाल द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री (Regular Civil Suit No. 247-4/69) के अनुपालन में किया गया था। न्यायालय ने विक्रेता भवानी सिंह के स्थान पर स्वयं दस्तावेज निष्पादित कर उसके पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण कराई थी। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि तत्कालीन उप-पंजीयक द्वारा उक्त दस्तावेज का पंजीयन पंजीयन अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत रूप से किया गया था तथा बाद के दस्तावेज भी उसी आधार पर पंजीकृत किए गए। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि पंजीयन अधिकारी का दायित्व केवल दस्तावेज के निष्पादकों की पहचान एवं वैधानिक औपचारिकताओं की जांच तक सीमित है तथा उसे संपत्ति के स्वामित्व अथवा अधिकारों की जांच करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया गया है। साथ ही, पंजीयन अधिकारियों को सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए विधिक संरक्षण प्राप्त होने की बात भी प्रतिवेदित की गई है।

10. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय अपराध), नगरीय पुलिस भोपाल ने अपने पत्र द्वारा अवगत कराया है कि श्री सुमेर सिंह, निवासी बावड़ियाकला, भोपाल द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच पुलिस उपायुक्त, जोन-01, नगरीय पुलिस भोपाल से कराई गई है। जांच के दौरान आवेदक को कथन दर्ज कराने तथा शिकायत से संबंधित पुष्टिकृत भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया, किन्तु आवेदक द्वारा न तो अपने कथन दर्ज कराए गए हैं और न ही अब तक कोई भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। इस कारण शिकायत की जांच अभी लंबित है। पुलिस उपायुक्त, जोन-01 का विस्तृत जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कर आयोग को प्रेषित की गई हैं।
11. आयोग ने संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध न कराए जाने पर असंतोष व्यक्त किया तथा कहा कि प्रकरण में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच आवश्यक है। आयोग ने यह भी माना कि अनुसूचित जनजाति की भूमि से संबंधित मामलों में विशेष संवेदनशीलता एवं विधिसम्मत कार्रवाई अपेक्षित है।

प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों के परीक्षण के उपरांत आयोग ने निम्न अनुशंसा की –

(i) आयोग द्वारा इस प्रकरण में स्थलीय परीक्षण हेतु एक जांच दल जायेगा। जिला प्रशासन आयोग के जांच दल को पूर्ण सहयोग करेगा, साथ रहेगा और जांच हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

....

फाइल सं. NCST/DEV-7694/MP/990/2026-RO-BH/RU-I

दिनांक. 16.06.2026

विषय: आवेदक की पैतृक भूमि पर षड्यंत्र और फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा करने एवं अवैध कब्जा हटाने के संबंध मे श्री सुमेर सिंह पता रघुनाथ नगर कॉलोनी, बावड़ियाकला, थाना-शाहपुरा, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल, मध्य प्रदेश से प्राप्त दिनांक 08.05.2026 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता मे आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष मे दिनांक 16.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कांत	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, कलेक्ट्रेट, ए-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल-462001, म.प्र

क्र सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3.				

पुलिस आयुक्त, भोपाल, कार्यालय पुलिस आयुक्त, भोपाल-462001, मध्य प्रदेश

क्र सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Manjul Khatri	Addl DCP Bhopal	9958014191	[signature]
2				
3.				

महानिरीक्षक पंजीयन, मध्य प्रदेश शासन,
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन, पंजीयन भवन, 35-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश 462011

क्र सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	Swapnesh Sharma	Sr. District Registrar	9685722250	[signature]
2				
3				

आयुक्त, नगर पालिका निगम, भोपाल हर्षवर्धन परिसर, माता मंदिर, भोपाल, मध्य प्रदेश

क्र सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2				
3				

अभ्यावेदक/ अभ्यावेदिका

क्र सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				